BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादन हत्या करने के 04 आरोपियो को 10-10 वर्ष का कारावास व 2300-2300 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. नफीस पुत्र शब्बीर 2. शकील पुत्र शब्बीर 3. सफीक पुत्र शब्बीर 4. शब्बीर पुत्र वारिस अली निवासी गण सारसौल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति नजीर व उसके परिजनो के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिससे नजीर के दामाद बाबू उर्फ इरफान की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2023 को थाना अरनिया पर मुअसं- 140/2023 धारा 323,504,304,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.08.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.09.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे -12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण नफीस, शकील, सफीक व शब्बीर को 10-10 वर्ष का कारावास व 2300-2300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर